्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक5.03.2020

मि.न.97 / 2020

सरकार बनाम भरथाराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1054 / 0.74है0 किस्म बारानी में से 0.50 है0 भूमि पर भरथाराम पुत्र रामदेव जाति खाती निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली ने फसल तारामीरा की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिंल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये। परन्तु कोई जबाब , दस्तावेज पेश किये गये। अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल भरथाराम पुत्र रामदेव जाति खाती निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम के मोरधा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 1054 / 0.74है0किस्म बारानी में से 0.50 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई तारामीरा की फसल को निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.00रू. का पचास गुणा 100 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इंजलास सुनाया गया ।

तहसीलदा
कोटपूतली ।जय

Scanned by CamScanner